बिहार सरकार
पथ निर्माण विभाग

पत्रांक– प्र०–7/विविध(स0वृ0)–274/2014– 793(S) /पटना, दिनांक 15/2/23

प्रेषक,

मुकेश कुमार
संयुक्त सचिव (प्र0को0)।

सेवा में,

सभी मुख्य अभियंता (रा0उ0प0 सहित)
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।
सभी अधीक्षण अभियंता (रा0उ0प0 अंचल सहित)
पथ निर्माण विभाग, बिहार।
सभी कार्यपालक अभियंता (रा0उ0प0 प्रमंडल सहित)
पथ निर्माण विभाग, बिहार।

विषय :– समयवृद्धि की स्वीकृति से संबंधित Price Neutralization के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संदर्भ में कहना है कि पथ निर्माण विभाग अन्तर्गत कार्यों के एकरारनामा से संबंधित समयवृद्धि की स्वीकृति के स्थिति में विस्तारित अवधि के साथ Price neutralization के संबंध में विभागीय कार्यालय आदेश सं0–95 सहपठित ज्ञापांक–3505 (एस) दिनांक–21.04.2015 द्वारा निर्गत दिशा–निर्देश की कंडिका–4.1 एवं 4.1.1 इस प्रकार है:–

कंडिका–4.1– "SBD आधारित वैसे कार्य/मूल कार्य जिसे पूरा करने की एकरारित अवधि 18 माह अथवा 18 माह से कम है एवं SBD के Clause of contract की कंडिका 10CA प्रभावी है।"

कंडिका–4.1.1– "उक्त कंडिका–3.2 में अंकित कारण/कारणों से (जिसके समर्थन में स्वीकार योग्य साक्ष्य उपलब्ध है) समयवृद्धि की स्वीकृति की स्थिति में विस्तारित अवधि के लिए कोई Price neutralization देय नहीं होगा यानि एकरारनामा के अनुसार कार्य पूरा करने की तिथि को लागू Price Index ही विस्तारित अवधि के लिए लागू होगा परन्तु यदि विस्तारित अवधि Price Index का एकरारनामा के अनुसार कार्य समाप्ति की तिथि से कम है तो विस्तारित अवधि का Price Index लागू होगा।"

कंडिका–4.1.1 को इस प्रकार प्रतिस्थापित किया गया है:–

(i) "उक्त कंडिका–3.2 में अंकित कारण/कारणों से (जिसके समर्थन में स्वीकार योग्य साक्ष्य उपलब्ध है) देय समयवृद्धि की स्वीकृति की स्थिति में विस्तारित अवधि के लिए विस्तारित अवधि में प्रभावी Price Index के अनुसार 10CA के अधीन Price neutralization देय होगा।

(ii) "उक्त कंडिका–3.2 में अंकित कारण/कारणों के अतिरिक्त किसी अन्य विशिष्ट कारणों से समयवृद्धि की स्वीकृति दी जाती है तो विस्तारित अवधि में प्रभावी Price Index के आधार पर Price neutralization देय नही होगा। यानि एकरारनामा के अनुसार कार्य पूरा करने की तिथि को लागू Price Index ही विस्तारित अवधि के लिए लागू परन्तु यदि विस्तारित अवधि का Price Index एकरारनामा के अनुसार कार्य समाप्ति से कम है तो विस्तारित अवधि का Price Index लागू होगा।

अतः विभागीय कार्यालय आदेश सं0–95 सहपठित ज्ञापांक–3505 (एस) दिनांक–21.04.2015 द्वारा निर्गत दिशा–निर्देश की कंडिका–4.1 एवं 4.1.1 में किये गये उक्त संशोधन के आलोक में अग्रेतर कार्रवाई किया जाय।

उक्त संशोधन प्रस्ताव पर सरकार का अनुमोदन प्राप्त है।

विश्वासभाजन

15/2/23

(मुकेश कुमार)

15/2/23

D:\NEHA SINHA\2012 KA NEW FOLDER\KALENDRA JEE & SINDHUNATH JHA\VIVIDH DOCX